

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.कमांक-247 / 2004  
संस्थित दिनांक-22 / 03 / 2004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**विरुद्ध**

जहूरखान पिता हमीदुरहमान, उम्र 51 वर्ष,  
निवासी-कम्पाउण्डर टोला, थाना बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियुक्त**

// निर्णय //

**(आज दिनांक-09/02/2015 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-22.01.2004 को समय 11:30 बजे स्थान ग्राम बिरवा के पास थाना बैहर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने वाहन मेडाटोर क्रमांक-एम.पी.22/बी.0485 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए फरियादी की बुलट क्रमांक-सी-404/4ए/3244 को ठोस मारकर मेडाटोर को पलटाया जिससे बुलट में बैठे सखाराम एवं मेडाटोर में सवार बिरियाबाई, जमनादास, जगदीश, संजय सलामें को साधारण उपहति तथा आहत सर्वदक्ष सागर एवं निर्मल धुर्वे को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना आरोपी ने दिनांक-22.01.2004 को समय 11:30 बजे स्थान ग्राम बिरवा के पास थाना बैहर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर मेडाटोर वाहन क्रमांक-एम.पी.22/बी.0485 को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुये बिरवा रोड़ पर सामने से आ रही बुलट क्रमांक-सी-404/4 ए/3244 को ठोस मारकर पलटा दिया, जिससे बुलट चला रहे सर्वदक्ष सागर एवं उसके पीछे बैठे निर्मल धुर्वे, सखाराम टांडी को चोट आयी एवं मेडाटोर में बैठे बिरियाबाई, जमनादास, जगदीश, संजय सलामें को भी चोटें आई। आहतगण को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती किया गया। शासकीय अस्पताल द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से थाना बैहर में सूचना दी गई। उक्त सूचना पर पुलिस थाना बैहर में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-26/2004, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती

पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत सर्वदक्ष सागर एवं निर्मल धुर्वे की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-22.01.2004 को समय 11:30 बजे स्थान ग्राम बिरवा के पास थाना बैहर, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने वाहन मेडाटोर क्रमांक-एम.पी.22/बी.0485 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी की बुलट क्रमांक-सी-404/4ए/3244 को ठोस मारकर मेटाडोर को पलटाया जिससे बुलट में बैठे सखाराम एवं मेटाडोर में सवार बिरियाबाई, जमनादास, जगदीश, संजय सलामें को साधारण उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत सर्वदक्ष सागर एवं निर्मल धुर्वे को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— निर्मल सिंह धुर्वे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना 22 जनवरी 2004 की सुबह लगभग पौने ग्यारह बजे की है। वह और एस.डी. सागर, सखाराम टांडी बुलेट से ग्राम खारी से बैहर की ओर बाईं तरफ से आ रहे थे। ग्राम बिरवा के पास एक 407 अनियंत्रित और तेज गति से चलते हुए आई और उन्हें टक्कर मार दी। जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने अपने आपको जबलपुर अस्पताल में पाया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के दौरान आरोपी को उक्त वाहन चलाते हुए नहीं देखा। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसे लोगो ने बताया था कि आरोपी वाहन चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय मोटरसाइकिल में तीन लोग बैठे थे और इस कारण मोटरसाइकिल चालक को बुलट चलाने में परेशानी हो रही थी। साक्षी ने

इस सुझाव से भी इंकार किया है कि तीन लोग बैठने के कारण मोटरसाइकिल लहरा गई थी और इस कारण वाहन 407 के अचानक सामने आ गई थी। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार होने और उनकी मोटरसाइकिल को वाहन 407 के चालक द्वारा अनियंत्रित एवं तेज गति से टक्कर मारने के कथन किये हैं, किन्तु साक्षी ने कथित वाहन 407 के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है।

6— आहत सखाराम (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना 22 जनवरी 2004 दिन के 11-12 बजे की है। वह एस.डी. सागर और निर्मल धुर्वे बुलेट मोटरसाइकिल में सवार होकर दुर्ग से बैहर आ रहे थे। वे लोग अपनी साईड में थे, उसी समय एक मेटाडोर चालक ने आकर उसे टक्कर मार दी। जिससे वे लोग गिर गए और उसके सिर पर और अन्य दो लोगों के पैर में चोटें आई थी। दुर्घटना मेटाडोर चालक की गलती से हुई थी, किन्तु वह चालक को नहीं जानता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत सर्वदक्ष मोटा व्यक्ति है तथा वह और आहत निर्मल दुबले व्यक्ति हैं। साक्षी ने मोटरसाइकिल में तीन व्यक्ति बैठे होने के कारण चालक सर्वदक्ष को बुलेट चलाने में असुविधा होने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार होने और उनकी मोटरसाइकिल को वाहन 407 के चालक द्वारा अनियंत्रित एवं तेज गति से टक्कर मारने के कथन किये हैं, किन्तु साक्षी ने कथित वाहन 407 के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है।

7— देवरिया (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने घटनास्थल पर जाकर वाहन मेटाडोर और बुलेट देखा था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार किया है। साक्षी ने अपने कथन में अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— बिरिया बाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— लक्ष्मीनारायण (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को घटना के समय मेटाडोर चलाते हुए देखा था। साक्षी ने घटना के बारे में जानकारी होने से भी इंकार किया है। साक्षी ने मात्र जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-9 एवं 10 पर हस्ताक्षर होना प्रकट

किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उक्त दस्तोवेजों पर कोटवार के रूप में हर हफ्ते थाने में हाजरी लगाने जाने पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई भी समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— मोहनदास पंवार (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना लगभग 7-8 वर्ष पूर्व की है। जब वह घर पर था तो किसी ने उसे बताया था कि निर्मल धुर्वे का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वह घटनास्थल पर गया था तो वहां उसने देखा की मोटरसाइकिल टूटी हुई थी और ट्रक खड़ा हुआ था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को घटना के समय मेटाडोर चलाते हुए देखा था। साक्षी ने घटना के बारे में जानकारी होने एवं उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है।

11— निरंजन सिंह (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है उसे मेटाडोर, चार पहिया चलाने का विगत 15 साल का अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक-28.01.2004 को मेटाडोर क्रमांक एम.पी.22 बी 485 का परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने उक्त मेटाडोर में टूट-फूट होना पाया था। परीक्षण कर उसने प्रदर्श-16 की रिपोर्ट विवरण अनुसार दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त वाहन के लैफ्ट हैंड का ब्रेक पाईप, ब्रेक पाईप की दो डब्बीयां व कमानी की पिन बुश टूटे पाए थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ब्रेक पाईप एवं डब्बीयां अचानक ब्रेक लगाने से टूट सकती हैं। साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन मेटाडोर के परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर वाहन में क्षति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है, किन्तु साक्षी ने उक्त वाहन के बाहरी या सामने वाले हिस्से क्षतिग्रस्त होने के संबंध में अपनी रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी की रिपोर्ट से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि उक्त दुर्घटना के कारण ही वाहन में खराबी आई थी।

12— डॉ. एन.एस. कुम्भरे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 22.01.04 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुबह 11:45 बजे 6 लोगो को भर्ती किया गया जो रोड़ एक्सीडेंट में आहत हुए थे, जिसकी सूचना टी.आई. बैहर को दी गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। उक्त दिनांक को आरक्षक अवधेश क्रमांक 511, थाना बैहर द्वारा आहत श्रीमती बिरिया बाई, जमनादास, जगदीश, संजय, एस.डी. सागर, निर्मलसिंह, एस.आर. टांडी को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उक्त आहतगणों का परीक्षण किया गया जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लगायत प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत बिरियाबाई, जमनादास, जगदीश, संजय, एस.डी. सागर, निर्मल, एस. आर. टांडी को साधारण चोट कारित होने की पुष्टि की है।

13— अनुसंधानकर्ता ए.एल. सैयाम (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-22.01.2004 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर



पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-26/04 की विवेचना के दौरान मौके पर जाकर समलसिंह के निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-14 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को बिरवा बस्ती के पास रोड़ से गवाह समलसिंह, लक्ष्मीनारायण के समक्ष क्षतिग्रस्त हालत में मेटाडोर एम.पी. 22 बी-0485 जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-9 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को उक्त गवाहों के समक्ष घटनास्थल से क्षतिग्रस्त हालत में वाहन बुलेट क्रमांक-सी-404/4ए/3244 जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-10 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को उक्त गवाहों के समक्ष सर्वदक्ष, जमनादास, देवरिया, लक्ष्मीनारायण, बिरयाबाई, कमलसिंह, मोहनदास, समलसिंह, संतलाल, संजय, जगदीश, देवेन्द्र, निर्मल, सखाराम के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 23.01.04 को मेटाडोर 407 क्रमांक-एम.पी. 22 बी-0485 मय दस्तावेजों के तथा लायसेंस जुहूर खान से गवाह देवेन्द्र तथा सुरेश के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-13 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को गवाह योगेन्द्र व योगेश के समक्ष आरोपी जुहूर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-15 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं वाहन का मैकेनिकल परीक्षण निरंजन सिंह से करवाया था।

14- उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का समर्थन देवेन्द्र बोपचे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में करते हुए कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसके समक्ष आरोपी जुहूर खान से एक मेटाडोर क्रमांक एम.पी.22 बी 485 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-13 के अनुसार जप्त हुआ था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार मामले में यह तथ्य प्रमाणित है कि कथित मेटाडोर वाहन को अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा घटना के पश्चात् जप्त किया गया था। यद्यपि उक्त जप्ती कार्यवाही से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि कथित दुर्घटना उक्त मेटाडोर से ही कारित हुई है।

15- स्वयं आहतगण की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि घटना के समय मोटरसाइकिल में तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। इस प्रकार आहतगण के द्वारा स्वयं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए दो पहिया वाहन में अवैध रूप से तीन व्यक्ति सवार होते हुए जा रहे थे। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि उन्होंने दूसरों के बताने पर कथित दुर्घटना कारित वाहन मेटाडोर से मोटरसाइकिल टकराया जाना प्रकट किया है, किन्तु किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने मेटाडोर क्रमांक एम.पी.22 बी 485 से दुर्घटना कारित होना प्रकट नहीं किया है।

16- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने उक्त घटना के समय मामले में जप्तशुदा मेटाडोर से दुर्घटना कारित होना प्रकट नहीं किया है। आहत निर्मल (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन 407 होना प्रकट किया है, जबकि अभियोजन के अनुसार दुर्घटना कारित वाहन मेटाडोर है। इसके अलावा किसी भी

चक्षुदर्शी साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन का नंबर अपने कथन में नहीं बताया है और उक्त वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान भी नहीं की है। अभियोजन ने उक्त सभी संदेहास्पद परिस्थितियों को साक्ष्य में दूर नहीं किया है। इस कारण यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही उक्त मेटाडोर वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किया जाकर दुर्घटना कारित की गई थी। ऐसी दशा में आहतगण को कारित उपहति हेतु आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर अपने वाहन मेटाडोर क्रमांक—एम.पी.22/बी.0485 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए फरियादी की बुलट को ठोस मारकर मेटाडोर को पलटाया जिससे बुलट में बैठे सखाराम एवं मेटाडोर में सवार बिरियाबाई, जमनादास, जगदीश, संजय सलामें को साधारण उपहति तथा आहत सर्वदक्ष सागर एवं निर्मल धुर्वे को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

19— प्रकरण में जप्तशुदा क्रमांक—एम.पी. 22 बी—0485 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार देवेन्द्र कुमार बोपचे पिता झनकलाल बोपचे निवासी बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट